



# अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना



डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून -248001

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में  
दिनांक-28 जनवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहुत बैठक का कार्यवृत्त:-

पत्रांक-अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2018-19 / 441 -1

दिनांक:- 28 Jan 19

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण-

1. प्रशासनिक अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी।

उक्त बैठक में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के समस्त राजकीय सेवकों एवं पेंशनरों के चिकित्सकीय उपचार सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार-विमर्श हुआ। यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को पूर्व में ही दिनांक 21 जनवरी 2019 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा अभी तक शासन का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। राजकीय सेवकों एवं पेंशनरों को ओ0पी0डी0 व्यवस्था के संचालन पर भी चर्चा हुई। विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के वर्तमान ढाँचें में राजकीय सेवकों एवं पेंशनरों को ओ0पी0डी0 की व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जाना अत्यन्त कठिन होगा। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि राजकीय सेवकों एवं पेंशनरों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने की व्यवस्था बनाए जाने हेतु शासन स्तर पर एक बैठक भी सम्भावित है।

यह निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर बैठक होने के पश्चात राजकीय सेवकों एवं पेंशनरों को चिकित्सा उपचार सम्बन्धी व्यवस्था हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में पुनः विचार करते हुए यथा आवश्यक संशोधन करते हुए प्रस्ताव प्रशासन विंग द्वारा तैयार करके शासन को भेजा जाये।

(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(युगल किशोर पंत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

पत्रांक-अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2018-19 / 441-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)

निदेशक-प्रशासन  
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति  
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना